

राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र

रायगढ़वनमंडल के अंतर्गत इस परियोजना हेतु राजस्व वन भूमि प्रस्तावित है।
कलेक्टर का प्रमाण पत्र संलग्न है।

4
वनप्रण्डलधिकारी
धरमजयगढ़ वन मंडल

For, MALKA RENEWABLE ENERGY PVT LTD.

Rohit

ROHIT SHRIVASTAVA

(रोहित श्रीवास्तव) GM-LIAISON

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)

मलका रिन्यूवल एनर्जी प्रा. लि.,

सिकंदराबाद



कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक/ 109 / भू.अ.लि/2017
प्रति,

रायगढ़ दिनांक 20/ 01 /2017

सचिव,
छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत मेसर्स मलका रिन्युएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की तहसील धरमजयगढ़ में मांड नदी पर 8 MW लघु जल विद्युत परियोजना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र बाबत।

संदर्भ :- मलका रिन्युएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड सिकंदराबाद का आवेदन पत्र क्रमांक एम.आर. ई.पी.एल/वन-भूमि/2016-02 दिनांक 13.10.2016

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके अनुसार मलका रिन्युएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड सिकंदराबाद द्वारा उन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्रेडा रायपुर (छ. ग.) से स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप ग्राम व तहसील धरमजयगढ़ (दमास) जिला रायगढ़ में मांड नदी पर 8 MW लघु जल विद्युत परियोजना में आने वाली 2.00 हे. वन भूमि (RF) एवं 4.690 हे. राजस्व वन भूमि (बड़े झाड़ के जंगल) कुल 6.690 हे. वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनापत्ति प्रमाण-पत्र चाही गई है।

आवेदित भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धरमजयगढ़ से जांच कराई गई। जिसमें उनके द्वारा निम्नांकित राजस्व वन भूमि खसरा नंबर एवं रकबा को आवेदक कंपनी को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई है जो निम्नानुसार है :-

तहसील धरमजयगढ़ में मांड नदी पर 8 MW लघु जल विद्युत परियोजना में प्रभावित होने वाले राजस्व वन भूमि का विवरण

अनुविभाग धरमजयगढ़

क्रं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	राजस्व वन भूमि		वन का प्रकार
			खसरा नंबर	प्रभावित रकबा (हे.में)	
1	2	3	4	5	6
- 1	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	1355/1क/1से	0.700	बड़े झाड़ का जंगल
			1375/1क/1 से	2.451	बड़े झाड़ का जंगल
			1379/1क से	1.539	बड़े झाड़ का जंगल
		योग	03 से	4.690	

अतः अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धरमजयगढ़ के प्रतिवेदन के आधार पर प्रश्नाधीन भू-खण्ड बड़े झाड़ के जंगल मद की प्रभावित राजस्व वन भूमि रकबा 4.690 हे. को गैरवानिकीय प्रयोजन/व्यपवर्तन कर उपयोग में लाने हेतु वरिष्ठ कार्यालय में आवेदन देने हेतु इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्तानुसार अनापत्ति भेजने का तात्पर्य यह कदापि नहीं माना जायेगा कि उपर्युक्त भूमि आवेदक कंपनी को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया जा चुका है।


कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग.)
78


//2//

पृ.क्रमांक/
प्रतिलिपि:-

109 /भू.अ.लि/2017

रायगढ़ दिनांक 20/01/2017

- 1 - अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आरण्य भवन, मेडिकल कालेज रोड रायपुर (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक- भू-प्रबंध) की ओर सूचनार्थ ।
- 2 - वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल धरमजयगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- ✓ 3 - मलका रिन्युएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड सिकंदराबाद को सूचनार्थ ।


कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग.)